न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलसंख्या 184/2016 जीसीएमएस संख्या 2016/00034

1. पवन सिन्हा पुत्र विक्रमजीत सिन्हा, जाति कायस्थ, निवासी जी. ए–67, कोशाम्बी, उत्तर प्रदेश हाल निवासी ग्राम केशवाना गुर्जरान, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. जे. के. सीमेन्ट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय कमला टावर कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय 221 अशोक नगर, उदयपुर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आर.एन. चक्रवर्ती पुत्र श्री एच. एन. चक्रवर्ती, जाति चक्रवर्ती, निवासी 221, अशोक नगर, उदयपुर हाल सीनीयर वाईस प्रेसीडेन्ट जे. के. सीमेन्ट, उदयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरुद्ध आज्ञा अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपूतली दिनांक 30.03.2016 जिसके तहत तहसीलदार जी की आज्ञा क्रमांक आई.आर./335 दिनांक 24.02.2011 जिसके तहत खसरा नम्बर 280 में प्रस्तावित नक्शे की तरमीम को बिना किसी आधार के निरस्त किया।

उपस्थित–

1. श्री ज्ञानेश्वर बाढदारवकील अपीलान्ट
2. श्री श्यामबाबू पारीक वकील रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से
3. श्रीचन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्तारेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–15.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टरकोटपूतलीके निर्णय दिनांक 24.02.2011 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार कोटपूतली के आदेश दिनांक 24.02.2011 को गलत बताते

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हुये अपील पेश कर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके मौजा केशवाना गुर्जरान में में स्थित हाल खसर नम्बर 280/330 रकबा 0.30 हैक्टेयर की प्रस्तावित तरमीम फोटो प्रति के अनुसार व मौके पर दिये गये कब्जे के अनुसार तरमीम न कर मूल नक्शे मे गलत तरमीम कर दी गयी, जिसे दुरूस्त किया जावे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण रिमाण्ड कर प्रकरणइस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया कि आवंटित भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 280/297/1 ग्राम केशवाना गुर्जर के हाल ट्रेस नक्शा में तरमीम एवं आवंटन आदेश की पालना में खोले गये नामान्तकरण की पुस्त पर प्रस्तावित तरमीम में भिन्नता की जॉच कर पुनः विधिसम्मत तरमीम की जावे, तत्पश्चात ई. डी.एम. मशीन द्वारा सेटलमेन्ट विभाग की टीम से सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त यदि मौके पर अतिक्रमण पाया जाता है तो धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाये जान के आदेश दिनांक 30.03.2016 को दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टरकोटपूतलीके उक्त निर्णय दिनांक 30.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट पवन सिन्हा पुत्र विक्रमजीत सिन्हाद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली के निर्णय दिनांक 30.03.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके मौजा केशवाना गुर्जरान में स्थित अपील में हाल खसर नम्बर 280/330 रकबा 0.30 हैक्टेयर जो रास्ते की भूमि थी रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया था जिसके कारण तहसीलदार द्वारा जे. के. सीमेन्ट के विरूद्ध बेदखली व अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये थे। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 252, 254, 256 व अन्य में आने–जाने का एकमात्र रास्ता है। ग्राम केशवाना गुर्जरान में सिवाय चक खसरा नम्बर 280 में से 0.60 एयर भूमि हवा सिंह पुत्र दुर्गा सिंह और श्रीमती शान्ति पत्नी दुर्गा सिंह को आवंटित हुई और आवंटन के आधार पर तहसीलदार ने दिनांक 15.02.2008 को आवंटी के नाम नामान्तकरण संख्या 115 खोला जाकर आवंटन रकबा 280/297 दर्ज किया गया आवंटी ने अपने आवंटनुशदा रकबे में से 0.30 हैक्टेयर भूमि का समर्पण रास्ते हेतु राज्य सरकार में कर रास्ते का इन्द्राज करते हुये उसका खसरा नम्बर 280/330 दर्ज किया गया और उक्त रास्ते पर अतिक्रमण करने के कारण ही दफा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रेस्पोडेन्ट के खिलाफ कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किसी भी रूप से तरमीम की आज्ञा से प्रभावित भी नहीं थे और दिनांक 24.02.2011 को केवल तरमीम का प्रस्ताव था और वह उच्च न्यायालय की अनुपालना में था। वर्तमान में खसरा नम्बर 280/330 रास्ते की भूमि है और जिससे अपीलान्ट अपनी खातेदारी की भूमि में आवागमन करता है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलेक्टर कोटपूतली दिनांक 30.03.2016 बाबत 24.02.2011 तरमीम के

संबंध में जो आज्ञा अपील संख्या 17/2016 में पारित की है को निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् जॉच रिपोर्ट व रिकॉर्ड अवलोकन पश्चात् ही तरमीम में भिन्नता की जॉच कर पुनः विधिसम्मत तरमीम किये जाने केआदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी. सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद वाके मौजा केशवाना गुर्जरान में स्थित हाल खसर नम्बर 280/330 रकबा 0.30 हैक्टेयर की तरमीम को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयानात् जिससे स्पष्ट होता है कि मौके पर रास्ता मौजूद है एवं रास्ते के दोनो ओर पेड पोधे लगे हुये है एवं उक्त खसर नम्बर के सटते हुये खसरा नम्बर 278 ग्राम केशवाना रेस्पो संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है जिसमें चारदीवारी लगी हुई है अथवा रास्ते की भूमि में चारदीवारी लगी हुई है यह स्पष्ट नहीं है।मौके पर कोई पुख्ता निशानात भी नहीहै। इसलिए अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि में अतिक्रमण किया गया है अथवा नही इसके बारे में वर्तमान में बिना ई.डी. एम. मशीन के सीमा ज्ञान किये कहा जाना सम्भव नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही प्रकरण रिमाण्ड कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया कि आवंटित भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 280/297/1 ग्राम केशवाना गुर्जर के हाल ट्रेस नक्शा में तरमीम एवं आवंटन आदेश की पालना में खोले गये नामान्तकरण की पुस्त पर प्रस्तावित तरमीम में भिन्नता की जॉच कर पुनः विधिसम्मत तरमीम की जावे, तत्पश्चात ई.डी.एम. मशीन द्वारा सेटलमेन्ट विभाग की टीम से सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त यदि मौके पर अतिक्रमण पाया जाता है तो धारा 91 की कार्यवाही अमल में लायी जावे। जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली का निर्णय दिनांक 30.03.2016 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर